(भारत सरकार) GOVERNMENT OF INDIA
(रेल मंत्रालय) MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड) RAILWAY BOARD

****

सं.2005/टेली/आरसीआईएल/1 पार्ट.III नई दिल्ली, दिनांक: 07/06/2017

महाप्रबंधक
सभी भारतीय रेलें

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
गुरुग्राम, हरियाणा।

टेलीकॉम परिपत्र सं.: 03/2017

विषय: एसटीएम-4 बैंडविड्थ एंड 4 फाइबर प्रबंधन प्रभारों के लिए लीज प्रभारों का रेलटेल को भुगतान

संदर्भ: i) बोर्ड का दिनांक 12/06/2012 का पत्र सं.2005/टेली/आरसीआईएल/1/पार्ट-III और दिनांक 18/09/2012 का पत्र सं.2011/टेली/6(3)/5

ii) आरसीआईएल का दिनांक: 16/02/2016 का पत्र सं. आरसीआईएल/2016/एनटीपी/सीओ/रेलवे पेमेंट/326

iii) उत्तर रेलवे का दिनांक: 04/01/2017 का पत्र सं. 247-एसआईजी/1/रेलटेल एसटीएम-4 पेमेंट एन.रेलवे

रेलवे बोर्ड ने उपर्युक्त संदर्भ-(i) में दिये गए पत्रों के तहत रेलटेल को एसटीएम-4 बैंडविड्थ और 4 फाइबर प्रबंधन के प्रावधान (लीज़) के लिए प्रभारों का भुगतान करने हेतु प्रक्रिया आदेश जारी किया था।

2) उपर्युक्त संदर्भ-(ii) में दिया गया रेलटेल का पत्र और उपर्युक्त संदर्भ (iii) में दिया गया उत्तर रेलवे का पत्र प्राप्त होने पर, बोर्ड द्वारा इस मामले की समीक्षा की गई है और निम्नलिखित निर्णय लिया गया है:

i) रेलटेल सभी क्षेत्रीय रेलों को **वर्ष में एक बार** (वार्षिक आधार पर) बीजक जारी करेगा।

ii) क्षेत्रीय रेलों के सीएसटीई इन बीजकों को, सहायक वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी के पुनरीक्षण के बाद, सत्यापित और अनुमोदित करेंगे। यह अनुमोदन सीएसटीई/उत्तर रेलवे एवं रेलटेल को **वर्ष में एक बार** दिया जाएगा।

iii) वास्तविक पुनरीक्षित आंकड़ों के आधार पर, **किसी खास वर्ष के लिए** क्षेत्रीय रेलवे के सीएसटीई से अनुमोदन प्राप्त होने के पश्चात, रेलटेल निम्नलिखित के लिए उत्तर रेलवे को मांग नोट जारी करेगा।

क) **परिणामी वर्ष**, जिसके लिए क्षेत्रीय रेलों से अनुमोदन/पुनरीक्षण प्राप्त हो गया है, के आधार पर, आगामी वर्ष के छः माह (पहले आधे भाग) की अवधि के लिए अग्रिम का भुगतान।

ख) छः माह की अवधि (पहले आधे भाग) के लिए पहले प्राप्त अग्रिम का समायोजन/मिलान करना और **उस वर्ष के** अगले छः माह की अवधि (दूसरे भाग) के लिए जिसके लिए अनुमोदन/पुनरीक्षण प्राप्त हो गया हो, के लिए भुगतान।

3) मौजूदा प्रक्रिया में पहले से विनिर्दिष्ट, उपरोक्त संदर्भ (i) के तहत जारी पत्रों के अनुसार, उत्तर रेलवे, उपरोक्त पैरा-3(iii) में उल्लिखित राशि, रेलटेल को भुगतान करेगा और संबंधित क्षेत्रीय रेलों को डेबिट पास कर दिया जाएगा।

4) यद्यपि, यह संशोधित प्रक्रिया वर्तमान वित्त वर्ष-2017-18 से लागू होगी, पिछले वर्षों के प्रक्रियाधीन सभी लंबित भुगतान का निपटान उपर्युक्त संदर्भ (i) के पत्रों के तहत जारी प्रचलित मौजूदा प्रक्रिया के अनुसार ही किया जाता रहेगा।

5) यह रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जाता है।

6) कृपया पावती दें।

(अंशुल गुप्ता)
कार्यपालक निदेशक/टेलीकॉम विकास
ईमेल: edtd@rb.railnet.gov.in
फोन नं. 011-23383138

सं. 2005/टेली/आरसीआईएल/1 पार्ट.III **नई दिल्ली, दिनांक: 07/06/2017**

प्रतिलिपि प्रेषित:-

i) वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी, सभी भारतीय रेलें।
ii) भारत के उप नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक (रेलवे), कमरा नं. 224, रेल भवन, नई दिल्ली

कृते वित्त आयुक्त/रेलवे